राजस्थान सरकार
वित्त (वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात अनुभाग) **विभाग**

पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही (Action Taken) का ज्ञापन।

पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 29 मई, 2015 (जिसे वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. प 5(1) वित्त/विआएवंआमा/एसएफसी/2014 दिनांक 30 मई 2015 द्वारा प्रसारित किया गया) द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। आयोग का कार्यकाल समय–समय पर बढ़ाया गया। आयोग द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व आयोग द्वारा वर्ष 2015–2016 के लिए अनन्तिम व्यवस्था हेतु दिनांक 15 सितम्बर, 2015 को अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे कार्यवाही के ज्ञापन के साथ 22 सितम्बर, 2015 को सदन के पटल पर रखा गया था। आयोग द्वारा वर्ष 2016–2017 के लिए अनन्तिम व्यवस्था हेतु दिनांक 1 सितम्बर, 2016 को अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे कार्यवाही के ज्ञापन के साथ 2 सितम्बर, 2016 को सदन के पटल पर रखा गया था।

2. पंचम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन जो कि 1 अप्रेल 2015 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि से संबंधित है तथा उसमें की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 243 आई(4) तथा 243 वाई(2) के तहत सदन के पटल पर रखा जा रहा हैं। आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायो को राशि अन्तरण, अनुदान एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों एवं सुझावों का सारांश अपनी रिपोर्ट में दिया गया है।

3. राज्य सरकार द्वारा आयोग की मुख्य सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है जिनका विवरण एवं राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.स.	सिफारिश	राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विवरण
(1)	**राज्य के स्वयं के कर राजस्व में से अंतरण के सम्बन्ध में सिफारिशेः**	
(i)	राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (भारत सरकार से प्राप्त जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति राशि को छोड़कर) का 8.5 प्रतिशत हिस्सा इन संस्थाओं को अंतरित किया जाये।	राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्वयं के शुद्ध राज्य कर राजस्व (माल एवं सेवा कर के बदले प्रतिकर को छोड़कर) में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों का हिस्सा 8.50% किये जाने की सिफारिश स्वीकार नही की जाकर, इसके स्थान पर आयोग द्वारा वर्ष

		2015–16 एवं वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुसार 7.182% रखा जाना स्वीकार किया गया है।
(ii)	राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (भारत सरकार से प्राप्त जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति राशि को छोड़कर) के 8.5 प्रतिशत हिस्से का वितरण पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 70 एवं 30 प्रतिशत के अनुपात में किया जाये।	राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश स्वीकार नही की जाकर अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य यह अनुपात क्रमशः 75.1 एवं 24.9 यथावत रखा जाना स्वीकार किया गया है।
(iii)	आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को करों में से देय हिस्सा राशि में से क्रमशः 40 एवं 20 प्रतिशत राष्ट्रीय/राज्य की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर उपयोग किये जाने की सिफारिश की गई है।	आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 2015–2016 से 2018–2019 की अवधि के लिए राशि अंतरित की जा चुकी है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश केवल वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकार की गई है।
(iv)	आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को करों में से देय हिस्सा राशि में से क्रमशः 55 एवं 75 प्रतिशत मूलभूत एवं विकास कार्यो के लिए उपयोग किये जाने की सिफारिश की गई है।	आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 2015–2016 से 2018–2019 की अवधि के लिए राशि अंतरित की जा चुकी है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश केवल वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकार की गई है।
(v)	आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने और समय पर लेखों का रख–रखाव और संपरीक्षा के लिए, अन्तरण योग्य निधियों की 5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि की सिफारिश की गई है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों से जुड़े जन प्रतिनिधियों को, जो नये विचारों का निष्पादन करते हैं, प्रोत्साहित किया जाने और उन्हें मान्यता दिये जाने हेतु,	आयोग की प्रोत्साहन राशि सम्बन्धी सिफारिश अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुरूप है, अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश स्वीकार की गई है। किन्तु आयोग की अवार्ड अवधि का अन्तिम वर्ष होने के कारण आयोग द्वारा अनुपयोगी राशि के उपयोग के सम्बन्ध मे की गई सिफारिश स्वीकार नही की गई है।

	सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए एक स्कीम बनाने और इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए अनुपयोगी प्रोत्साहन राशि का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।	
(2)	**पंचायती राज संस्थाऐं**	
(i)	आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से आवंटित की जाने वाली राशि के जिलेवार वितरण, जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और अन्य सामाजिक आर्थिक मापदण्डों जैसे लिंगानुपात, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, शिशु मृत्यु दर, बालिका शिक्षा, दशकीय जनसंख्या वृद्धि में गिरावट और 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) पर आधारित वंचन सूचकांक के आधार पर निर्धारित किये गये मानदण्ड़ों और भारों के आधार पर किये जाने की सिफारिश की गई है।	आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से आवंटित की जाने वाली राशि के जिलेवार वितरण हेतु निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अनुपात अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुरूप है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार किया गया है।
(ii)	प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित हिस्से में से जिला परिषद को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत भाग दिया जाये।	आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 2015–2016 से 2018–2019 की अवधि के लिए राशि अंतरित की जा चुकी है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश केवल वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकार की गई है।
(3)	**नगरीय स्थानीय निकाय**	
	आयोग द्वारा अपने वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदनों में नगरीय स्थानीय निकायों के हिस्से की राशि को नगरीय स्थानीय निकायों के तीन स्तरों पर वितरण के निर्धारित पैटर्न को पुनर्रचित किया है, जिसके अनुसार नगर निकायों के मध्य निधियों के 70% अंश को सभी नगरीय स्थानीय निकायों में 55%	आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 2015–2016 से 2018–2019 की अवधि के लिए राशि अंतरित की जा चुकी है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश केवल वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकार की गई है।

	जनसंख्या और 15% क्षेत्र के आधार पर वितरित किया जाये। शेष 20% निधियां सभी नगरपालिकाओं के मध्य जनसंख्या के आधार पर और 10% निधियां नगरपालिकाओं को उच्चतम प्रति व्यक्ति स्वयं की आय से प्रति व्यक्ति स्वयं की आय विचलन के अनुपात में वितरित की जाने की सिफारिश की गई है।	
(4)	**अन्य सिफारिशें:**	
(i)	आयोग द्वारा यह भी सिफारिश की गयी है कि आयोग की सिफारिश के अर्न्तगत देय राशि का उपयोग किसी व्यक्ति/कार्मिक/जन प्रतिनिधि की निजी आवश्यकताओं के लिए नही किया जाना चाहिये।	आयोग की अन्तरिम प्रतिवेदनों के अनुसार वर्ष 2015–16 से 2018–19 हेतु राशि वितरित की जा चुकी है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश केवल वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकार की गई है।
(ii)	14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों में वितरण के संबंध में आयोग ने वही मापदण्ड अपनाने की सिफारिश की है, जो राज्य वित्त आयोग द्वारा करों के हिस्से में वितरण हेतु निर्धारित किये गये हैं।	आयोग की अन्तरिम प्रतिवेदनों के अनुसार 2015–16 से 2018–19 के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। अतः आयोग की यह सिफारिश 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत भविष्य मे प्राप्त होने वाली राशि के वितरण के सम्बन्ध में स्वीकार की गई है।
(iii)	आयोग द्वारा वित्तीय अंतरण के अलावा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने, कर–आधार को बढ़ाने, लेखा संधारण आदि के संबंध में अन्य सुझाव भी दिये गये हैं।	आयोग द्वारा दिये गये अन्य सुझावों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा विचार एवं परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक निर्णय समुचित स्तर पर लेने हेतु, निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार, अग्रिम कार्यवाही करने के लिए राज्य वित्त आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन उन्हें अग्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. **क्रियान्विति:**

(i) राज्य के वास्तविक शुद्ध कर राजस्व से अंतरण के संबंध में आदेश पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

(ii) आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अंतरित राशि के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश संबंधित विभागों द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

(अशोक गहलोत)
मुख्यमंत्री

दिनांक : 23 जुलाई, 2019